

## आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रांक .....तारीख 12/12/23 से 27/12/23 तक '.....जिला राँची।

वाद सं०- 05/2023-2024 केश का प्रकार- विविध (राजस्व) काद

आदेश की क्रम संख्या व तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित
1	जयप्रकाश जायसवाल, कण्डेर, बुढ़मू।	3

27/12/2023

इस वाद की कार्यवाही जयप्रकाश जायसवाल पिता- स्व० युगल किशोर भगत निवासी ग्राम- कण्डेर, पंचायत-सारले, थाना-बुढ़मू, जिला-राँची द्वारा दिनांक-12/12/2023 को अंचल कार्यालय, बुढ़मू में दिए आवेदन से प्रारम्भ हुई। आवेदक ने बुढ़मू अंचल अंतर्गत मौजा- कण्डेर के खाता सं०-109, प्लॉट सं०-754, रकबा-77 डि० भूमि का विवरण युगल किशोर भगत वो ब्रज किशोर भगत, पिता- स्व० त्रिवेणी प्रसाद भगत के नाम पंजी-11 में दर्ज करने का अनुरोध किया है। आवेदक ने आवेदन के साथ लगान रसीद सं०-128882, निर्गत तिथि 02/02/2000 एवं लगान रसीद सं०-110530, बँटवारानामा की प्रति एवं निरंतर खतियान की छायाप्रति संलग्न किया है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा राजस्व अभिलेखों एवं स्थलीय जाँच के आधार पर प्रतिवेदित किया है कि मौजा- कण्डेर के खाता सं०- 109, प्लॉट सं०-754, रकबा-77 डि० भूमि आर० एस० खतियान में बकास्त मालिक नाम लगान पानेवाला सुखदेव भगत वगैरह दर्ज है। निरंतर खतियान के अनुसार खाता सं०- 109/4, प्लॉट सं०-754, 755, 757 एवं 30 रकबा क्रमशः 77 डि०, 52 डि०, 14 डि०, 96 डि०, कुल रकबा-2.39 एकड़ भूमि ब्रज किशोर भगत वगैरह के नाम दर्ज है। आवेदक के नाम जमाबंदी नहीं पाया गया। परन्तु, प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पुष्टि होती है कि आवेदक के पिता के नाम पूर्व में पंजी-11 में जमाबंदी कायम थी। भूमि पर आवेदक का दखल-कब्जा है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से इस बात की पुष्टि होती है कि ब्रज किशोर भगत वगैरह के नाम से भूमि का लगान- निर्धारण हुआ है। परन्तु, किसी कारण से पंजी- 11 में नाम दर्ज नहीं हो पाया है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाईन पंजी-11 में ब्रज किशोर भगत वगैरह का नाम दर्ज कर लगान रसीद निर्गत करें।

लेखापित एवं संशोधित

ANW.  
27/12/2023

अंचल अधिकारी,  
बुढ़मू राँची।

ANW.  
27/12/2023

अंचल अधिकारी,  
बुढ़मू राँची।

सी.डी.ई.

अंचल अधिकारी  
मुंबई (रांची)

056  
DT:

विषय: खाला नं-28, खाला नं-109, प्लॉट नम्बर-754, रकबा-0.78 एअर  
जमीन का बिल में लागू स्वीड पर प्लॉट नं-खाला दर्ज करने  
सम्बन्धी जांच-प्रातिवेदन।

महाशय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि मौजा-

कौंडर के आर्षदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का जांचोपरांत पाया कि खाला नं-  
109, प्लॉट - 754, रकबा - 0.77 डि.अमि सर्वे खातेमान में प्रकृत मालीक,  
बाम जमान धानेपाला - कुल 9 अगत 9 गै. दर्ज है एवं निरंतर खातेमान  
अनुसार खाला नं-109/4, प्लॉट नं-754, 755, 757 एवं 30, रकबा-0.77 डि.  
0.52, 0.14, 0.96 कुल रकबा- 2.39 एअर अमि कुजाकेसौर अगत 9 गै. दर्ज  
है।

आर्षदक द्वारा प्रस्तुत जमान सिद्ध अनुसार पूर्व में जमाबंदी  
दर्ज था, परंतु वर्तमान में पंजी II के अपलॉकिंग से पता चलता है कि  
आर्षदक के नाम जमाबंदी नहीं पाया गया। एवं उक्त अमि पर आर्षदक का  
दरपल - रकबा है।

अतः अर्थात् कारवाई हेतु जांच-प्रातिवेदन समाप्त।

*[Signature]*  
21/12/23  
R-42  
*[Signature]*  
22.12.23  
C.T.